न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1472/2026

CNR No.UPRN01- 003736 -2026

1. छोट बऊवा उर्फ अरविन्द पुत्र अनिल कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम बांध, थाना सजेती, जिला कानपुर नगर। ...आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–103/2026
धारा–105,115(2),126(2),191(2),110,
351(3),352 बी०एन०एस०
थाना–सजेती, कानपुर नगर।

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या–103/2026, धारा–105,115(2),126(2),191(2),110, 351(3),352 बी०एन०एस०, थाना–सजेती, कानपुर नगर के मामले में आवेदक/अभियुक्त छोट बऊवा उर्फ अरविन्द की तरफ से जमानत हेतु जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादिनी मुकदमा जयरानी के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि घटना दिनांक–10.04.2026 को समय लगभग पाँच बजे शाम उसका पुत्र रत्नेश गांव में स्थित दुकान से सामान लेकर वापस अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में गांव के दबंग व्यक्ति छोट बउवा ने उसके पुत्र को रोक कर बिना किसी कारण के माँ बहन की अश्लील गंदी–गंदी गालियाँ देने लगा, जिसका उसके पुत्र ने विरोध किया तो उक्त विपक्षी छोटे बउवा ने अपने पिता अनिल व भाई पोलू व सहयोगी सिद्धू व धुल्लू को बुला लिया, सभी अपनी दबंगई के बल पर उसके पुत्र को बुरी तरह से मारने पीटने लगे। उसके पुत्र ने किसी तरह अपने को बचाया। उक्त विपक्षीगण उसके पुत्र का पीछा करते हुये घर के दरवाजे आकर पकड़कर पुनः बुरी तरह से मारने पीटने लगे। उसके पुत्र के बचाव–बचाव के शोर पर उसका छोटा पुत्र साजन व पिता धर्मेन्द्र बचाने आये तो उक्त विपक्षीगण ने उनके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। छोटे बउवा ने ईट उठाकर साजन के सिर पर मार दिया, जिससे साजन का सर फट गया व बदहोश होकर जमीन पर गिर गया। पोलू अपने हाथ में लिये तमंचा दिखाते हुये अनिल व सिद्धू व धुल्लू ने उसके पति धर्मेन्द्र को मारते पीटते रहे जब तक उसका पति जमीन पर न गिर गया। उसके पति का हाल ही मे किडनी का आपरेशन तीन माह हुये है, जिससे पेट व शरीर में अन्दरूनी बाहरी एवं जाहिरा चोटे आयी है। उसने किसी से 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना देनी चाही, परन्तु नम्बर नहीं लगा। उक्त विपक्षीगण उसके पति व पुत्र को बदहोश व मरा समझकर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गये। उसके पुत्र ने किसी तरह से उक्त घटना की सूचना थाना सजेती में दी, पुलिस ने उसके पति व पुत्र का प्राथमिक इलाज कराकर घर भेज दिया, दूसरे दिन उसके पति की हालत गंभीर होने पर घाटमपुर नर्सिंग होम ले गये। विपक्षीगण बराबर जान माल की धमकी दे रहे है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना के समय वह घर पर नहीं था बल्कि अपनी रिश्तेदारी में गया था। उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। उसे गांव की पार्टी बंदी के कारण झूठा फँसाया गया है। वादिनी के पति का किडनी का आपेरशन हुआ था। उससे उसने मारपीट नहीं की है। दिनांक–11.04.2026 को हालत बिगडने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उसने साजन के सिर पर ईटा नहीं मारा है। उसे फँसाने के लिये मेडिकल झूठा बनाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय से हो चुकी है। वह दिनांक–14.04.2026 से जेल में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पुत्र रत्नेश, साजन व वादिनी के पति धर्मेन्द्र को मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की, जिसके फलस्वरूप वादिनी के पति धर्मेन्द्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मामले में

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.07.14 13:56:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विवेचना प्रचलित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पुत्र रत्नेश, साजन व वादिनी के पति धर्मेन्द्र को मारपीट कर गंभीर उपहति कारित किये जाने का आरोप लगाया गया। इस घटना में आयी चोटों से दौरान इलाज वादिनी के पति धर्मेन्द्र की मृत्यु हो गयी। सर्वप्रथम बी०एन०एस० की अन्य धाराओं सहित धारा–110 में मामले का अभियोग दर्ज किया गया था और दौरान इलाज वादिनी के पति की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मामले में धारा–105 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी। एफ०आई०आर० में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा साजन के सिर पर ईट से मारपीट कर चोटे पहुँचाने का कथन किया गया है। मजरूब साजन के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में एक चोट एब्रेडेड कन्टीयूजन की दर्शित की गयी और उक्त चोट साधारण प्रकृति की बतायी गयी है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क रखा गया कि मृतक की मृत्यु मारपीट में आयी चोटो के कारण नहीं हुई बल्कि मृतक की मृत्यु उसके स्वयं के किडनी की बीमारी के कारण हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के दोनों घुटने में एक–एक चोट दर्शित की गयी है तथा मृतक की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा प्रिजर्व किया गया है। अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक–14.04.2026 से जेल में निरूद्ध है। सह अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

7– अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभू सहित, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार निष्पादित करने पर, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त के द्वारा निम्न आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत किया जाये–

1– आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि दौरान विवेचना वह विवेचना में सहयोग करेगा तथा विवेचना उपरान्त दौरान विचारण न्यायालय साक्षियो को डराये धमकायेगा नहीं और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा ।

2– आवेदक दौरान विचारण साक्ष्य की तिथि पर साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित रहने पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगें तथा इस शर्त का उल्लंघन होने पर इसे जमानत का दुरूपयोग माना जायेगा तथा न्यायालय इसके विरूद्ध विधिनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

3– आवेदक विचारण प्रारम्भ होने के समय,आरोप विरचन एवं बी०एन०एस०एस० की धारा–351 के अन्तर्गत पृच्छा अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाती है कि आवेदक जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुए आवेदकगण के विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही करेगी ।

दिनांक–14.07.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003